जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-04.02.2025

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला अग्रवाल कालोनी में वृद्ध महिला से कुंड़ल लूट की घटना का अल्प अवधि में सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 01 बदमाश मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से लूटा हुआ कुंड़ल, अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 03.02.2025 को वादी श्री सचिन कुमार पुत्र प्रमोद कुमार निवासी मौहल्ला अग्रवाल कालोनी थाना थानाभवन जनपद शामली की घर के बाहर बैठी दादी श्रीमती कस्तुरु देवी से एक अज्ञात बदमाश द्वारा कुंडल छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। थाना थानाभवन पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये घटनास्थल के आसपास महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत वृद्ध महिला से कूंडल लूट की घटना का अल्प अवधि में सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले बदमाश से जंगल ग्राम हसनपुर लुहारी में हुई मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 01 बदमाश को घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु भेजा गया है। गिरफ्तार/घायल अभियुक्त बिलाल उपरोक्त के कब्जे से लूटा हुआ कुंड़ल, अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस बरामद हुये है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.बिलाल पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1-लूटा हुआ कुंड़ल।

2-अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त बिलाल उपरोक्त -

1.मु0अ0सं 39/2025 धारा 134 बीएनएस थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.मु0अ0सं 356/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.मु0अ0सं 48/2017 धारा 395/397/412 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.मु0अ0सं 391/2013 धारा 392/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 श्री वीरेन्द्र कसाना थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री इन्द्रसैन थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.उ0नि श्री दीप चन्द थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.हे0का0 भगत सिंह भाटी थाना थानाभवन जनपद शामली।

5.का0 अमित कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

6.का0 आकाश जैनर थाना थानाभवन जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डेरा थानू में सरकारी कार्य में बाधा डालना एवं पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 03.11.2024 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डेरा थानू में थाना झिंझाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 212/24 धारा 457/380/411 भादवि व अन्य राज्यो से लूट की घटना में वांछित चल रहे अभियुक्त चतरसैन पुत्र धीर ध्वज निवासी ग्राम रामपुरा हाल निवासी डेरा थानू थाना झिंझाना जनपद शामली अपने घर के सामने कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ अपराध करने के इरादे से मीटिंग कर रहा था। सूचना पर पुलिस पार्टी अभियुक्त चतरसैन के घर के सामने पहुंची, जहां पर व अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा था। पुलिस टीम द्वारा उसका नाम पता पूछने पर वांछित अभियुक्त चतरसैन ने गिरफ्तारी के डर से शोर मचाना शुरु कर दिया और अपने साथियों के साथ एक राय होकर पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला कर दिया था। उपरोक्त घटना का तत्काल उच्चाधिकारीगणों द्वारा संज्ञान लिया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटनाकारित करने वाले अभियुक्तगणों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डेरा थानू में सरकारी कार्य में बाधा डालना एवं पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्तगण रवि, पवन, शीतल को दिनाँक 04.11.2024 को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण शुभम उर्फ शिवम, चमन, रामचन्द्र, अमन, रेखा, सरिता, नीतू, राखी, बब्ली द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसम्पर्ण किया जा चुका है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ता-</u>

1.श्रीमती रजनी पत्नी कल्लू निवासी ग्राम डेरा थानू थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 04.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.जग्गा पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम खानपुर जाटान थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 07 अलग-अलग मामलों में 08 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 23,100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1.-वर्ष 2019 में अभियुक्त राजकुमार पुत्र समर सिंह निवासी ग्राम पीर खेडा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 819/2019 धारा 188 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2014 में अभियुक्त अफसर पुत्र फूलहसन निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0स0 786/2014 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 2017 में अभियुक्तगण 1.नोबिल पुत्र विरेन्द्र 2.पिंकी पत्नी नोबिल निवासीगण ग्राम होशंगपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0स0 68/2017 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय उठने तक की सजा व 2,500-2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.-वर्ष 1997 में अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र भून्डा निवासी ग्राम गढ़ी थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0स0 181/1997 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5.-वर्ष 1999 में अभियुक्त शानू पुत्र हकीम निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0स0 01/1999 धारा 5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

6.-वर्ष 2023 में अभियुक्त विपिन लाटियान पुत्र कुलजीत निवासी चौधरी चरण सिंह कालोनी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0स0 444/2023 धारा 414/482 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय उठने तक की सजा व 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

7.-वर्ष 2017 में अभियुक्त नरेश पुत्र सलेख निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0स0 388/2017 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनन अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि

की सजा व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI